न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 32/2019

प्रार्थी

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. श्री मीरा देवी पत्नि श्री हिरालाल जी, उम्र वयस्क, जाति भील, निवासी 203, भीलो का बास, गिरादड़ा खालसा, तहसील व जिला पाली (राज.)

1. राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये तहसीलदार, पाली, जिला पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री मनोज श्रीनाथ, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश दाधिच, नायब तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–ःआदेशः– दिनांक 31/10/2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम गुडा एंदला के खसरा नंबर 1311/4 मे भूमि धारक हुँ। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1311/4 की भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम गुडा एंदला के खसरा नंबर 1310 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित चौड़ रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच जरिये पत्रांक/कोर्ट/2019/995 दिनांक 18–07–19 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/19/2958 दिनांक 18–09–2019 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि राजस्थान कास्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 के नियम 69 के तहत प्रार्थीगण खातेदार मीरादेवी पत्नि हीरालाल कोम भील अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1311/4 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1310 मे से 20 फिट की मांग की गई है। जिसकी जांच रिपोर्ट भू.अ. नि. गुड़ा एन्दला से ली गई जांच अनुसार खसरा नम्बर 1310 मे से 20 फिट रास्ता देने पर कुल रकबा 0.07 बिघा भूमि की आवश्यकता होगी मौके पर भूमि खाली पड़ी है। एवं रास्ता हेतु उपयोग वर्तमान मे रहो रहा है तथा वर्तमान मे खातेदारी भूमि मे काश्त हो रही है अतः कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी को रास्ते हेतु 0.07 बीघा की आवश्कता है। खातेदार द्वारा राजकोष मे जमा कराई जाने वाली राशि की रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा पाली से ली गई। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1310 ग्राम गुड़ा एन्दला जो राष्ट्रीय राजमार्ग पाली से सुमेरपुर पर आई हुई होकर गुन्दोज से बालराई के मध्य स्थित है। जिसकी डीएलसी दर 26,22,200 छबीस लाख बाईस हजार दौ सौ रूपयें अक्षरे प्रति हैक्टर होने से 0.07 बिस्वा अर्थात 567 वर्गमीटर भूमि की राशि 1,48,6,79 अक्षरें एक लाख अड़तालीस हजार छः सौ उन्नासी बनती है जिसकी दुगुना राशि 2,97,3,58 अक्षरे दो

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

लाख सतावें हजार तीन सौ उठावन रूपये होती है। मौके पर खातेदार के खसरा नम्बर 1311/4 मे आने जाने हेतु वर्तमान मे नेशनल हाईवे रोड से खसरा नम्बर 1310 किस्म सेवज सरकारी भूमि व खसरा नम्बर 1311/2 किस्म सेवज सोयम पगडडिया व रास्ते से किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि कोई पक्का निर्माण और वृक्ष नहीं है।

3. बहस प्रा0पत्र उभयपक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने माफिक भू0अ0नि0, गुडा एंदला की जांच रिपोर्ट के अनुरूप एवं नजरी नक्शा के अनुरूप रास्ता दिये जाने का निवेदन किया तथा जो कीमत जमीन की है वे अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी को रास्ता हेतु भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

4. अतः तहसीलदार, पाली की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर जांच रिपोर्ट के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा को इस आदेश का भाग बनाया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा गुडा एन्दला में स्थित खसरा नंबर 1310 में से 20 फिट चौड़ा व 0.07 बिस्वा अर्थात 567 वर्गमीटर भूमि जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित अनुरूप भूमि आवेदक के खातेदारी भूमि तक जाने हेतु रास्ता के रूप में दिया जाता है। Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rule, 2012 के नियम 70 के तहत आदेश जारी होने की तारीख को प्रचलित डी.एल.सी. की दर, जिसे कृषि असिंचित भूमि ग्रामगुडा एन्दला वर्तमान डी.एल.सी. दर 26,22,200/- प्रति हैक्टर होने से 0.07 बिस्वा अर्थात 567 वर्गमीटर भूमि की कीमत 1,48,679/- अक्षरें एक लाख अड़तालीस हजार छः सौ उन्नासी व तदनुसार प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात् 2,97,358/- अक्षरे दो लाख सतावें हजार तीन सौ उठावन रूपयें प्रार्थी से तहसीलदार, पाली द्वारा राजकोष में जमा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली उक्त प्रस्तावित रास्ता, जिसे जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, का राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में अंकन करवाया जायेगा। उक्त सार्वजनिक रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा न कि केवल प्रार्थी के अकेले के उपयोग हेतु। प्रार्थी को उक्त रास्ता का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस आदेश एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.11.26 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: